



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062020-219945
CG-DL-E-15062020-219945

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1682]	नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2020/ज्येष्ठ 25, 1942
No. 1682]	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2020/JYAISTHA 25, 1942

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2020

का.आ. 1885(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, केरल राज्य क्षेत्र के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन, कोची सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड (केएसपीपीएल) की कोची कोयम्बटूर सेलम एल पी जी पाइपलाइन के लिए, सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए केएसपीपीएल में प्रतिनियुक्ति पर श्री पी अनिलकुमार, डिप्टी कलेक्टर (आर आर), के. एस. एफ. इ. त्रिसुर, केरल सरकार को प्राधिकृत करती है।

[फा.सं. आर-12031/196/2017-ओ-आर-1/ई-19746]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2020

S.O. 1885(E).—In pursuance of clause (a) of section 2 of the petroleum and mineral pipelines (acquisition of right of user in land) Act, 1962(50 of 1962), the Central Government hereby authorizes Shri. P Anilkumar,, deputy collector(RR), KSFE Thrissur on deputation to Kochi Salem Pipeline Private

Limited(KSPPL) to perform the functions of the competent authority , in the state of Kerala for Kochi Salem Pipeline Private Limited's Kochi-Coimbatore-Salem LPG Pipeline under the said act.

[F. No. R-12031/196/2017-OR-I/E-19746]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.